मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त, 1995 (भाद्र 9, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री कंकर मुंजारे, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के गैरतगंज थाना कर्मियों द्वारा की गई पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य, रायपुर के नगरी वन काष्ठागार में गंभीर अनियमितताओं पर कार्यवाही न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-190, शहपुरा की सदस्य सुश्री गंगाबाई उरैती को अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा का वक्तव्य

श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, दिनांक 10 मार्च, 1995 को पूछे गये ~~परिवर्तित~~ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क्रमांक 4466) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 1995-96 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,5,6,7,8,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,36, 38, 39,41,42,43,44,45,47,48,51,54,55,56,58,60,61,64,66,67,72,74, 75 एवं 76 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ पचपन करोड़, उनहत्तर लाख, छब्बीस हजार, दो सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 22 सन् 1995) पर विचार किया जाय - चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, नेमीचन्द जैन, गिरिराज मण्डलोई, रामविचार नेताम, बच्चन नायक, गोविन्द प्रसाद मिश्र, रघुनन्दन शर्मा, जालम सिंह पटेल तथा श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

-2-

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

8. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 21 अगस्त, 1995 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 1339) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 24 अगस्त, 1995 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 206) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 30 अगस्त, 1995